



ट्रेक्टर की टक्कर से गिरा बाइक सवार युवक, ट्रक ने कुचला, मौत

मीडिया पर वायरल है।

जानकारी के अनुसार मुरैना शहर के गोपालपुरा मौहल्ले की तोमर गली निवासी विवेक त्यागी 24 पुत्र राकेश त्यागी मंगलवार की दोपहर बाइक क्रं. एमपी06-एम्जे-4148 पर सवार होकर घर से सैय्यद नहर के पास स्थित वाटर बॉटलिंग प्लांट पर जाने के लिए निकला था। इसी दौरान जब विवेक एनएच-44 पर कमिश्नर कार्यालय के सामने से गुजर रहा था। तभी रॉन्ग साइड से आ रहे पथ्रर से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार विवेक त्यागी हाईवे पर गिरा, इसी समय साइड से गुजर रहे एक ट्रक ने उसे कुचल डाला, जिससे

उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली और ट्रक को लेकर ड्राइवर भाग निकले। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था।

हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद, वीडियो वायरल

मंगलवार की दोपहर एनएच-44 पर जहां हादसा हुआ, वहां हाईवे किनारे स्थित शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। हादसे के लाइव फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। लाइव हादसे के यह वीडियो शाम होने तक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे थे।



एक घंटे की बारिश से शहर हुआ पानी-पानी

महापौर-आयुक्त में तीखी बहस, सफाई के सवाल पर महापौर से आयुक्त बोले- मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, बहस का वीडियो वायरल

नवभारत न्यूज
मुरैना, 28 जुलाई। मंगलवार सुबह करीब एक घंटे की बारिश ने नगर निगम के मानसून इंतजामों की पोल खोल दी। शहर के कई प्रमुख इलाकों में जलभराव होने पर निरीक्षण के दौरान बिजलीघर के सामने महापौर शारदा राजेंद्र सोलंकी और नगर निगम आयुक्त सत्येंद्र धाकरे के बीच नालों की सफाई को लेकर तीखी बहस हो गई। सड़क पर हुई यह नोकझोंक

दिनभर चर्चा का विषय बनी रही।

महापौर श्रीमती सोलंकी ने जलभराव को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि महज एक घंटे की बारिश में मुख्य सड़कें पानी से भर गईं, जबकि नालों की सफाई के दावे किए गए थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई जल निकासी व्यवस्था पहली बारिश में ही बेअसर साबित हुई। उनका कहना था कि बिजलीघर, नेहरू पार्क, एमएस रोड, जीवाजीगंज, माधोपुरा नाले की पुलिया और बैरियर बस स्टैंड सहित कई क्षेत्रों में पानी भर गया।

आयुक्त बोले उनकी बातों का मतलब गलत निकाला गया
नगर निगम आयुक्त 'सत्येंद्र

महापौर ने कहा नाले-नालियों की सफाई कहाँ हुई, आयुक्त बोले अपने हिसाब से काम करूंगा

बारिश के बाद सड़कों पर हुए जलभराव की स्थिति को देखने महापौर शारदा सोलंकी और आयुक्त सत्येंद्र धाकरे सहित नगर निगम का अमला शहर में भ्रमण करने निकला था। इसी दौरान सड़क पर जलभराव के बीच खड़ी महापौर ने जब सफाई के सवाल आयुक्त पर दामे तो आयुक्त ने कहा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। इस पर महापौर ने कहा कि यदि ऐसा है तो उन्हें लिखित में दे दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी जमीनी निरीक्षण के बजाय कामजों में व्यवस्थाएं पूरी होने का दावा कर रहे हैं। महापौर ने यह भी कहा कि मंगलवार सुबह बड़े नाले की सफाई जेसीबी से करानी पड़ी, जिससे तैयारियों की वास्तविक स्थिति सामने आ गई।

धाकरे ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उनके अनुसार वह सुबह शहर का निरीक्षण कर रहे थे और एक दिन पहले वार्ड-3 का दौरा कर

आवश्यक कार्रवाई के लिए अपर आयुक्त को निर्देश दिए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका बयान नालों की सफाई से संबंधित नहीं था।

जनसुनवाई : कलेक्ट्रेट में 190, चंबल भवन में पहुंचे 12 आवेदक

मुरैना, 28 जुलाई। मंगलवार को जिला मुख्यालय और चंबल भवन में आयोजित जनसुनवाई में कुल 202 आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में 190 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से दो गंभीर मामलों को टीएल प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया। वहीं चंबल भवन में संभागायुक्त सुरेश कुमार ने 12 आवेदनों पर सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, स्वच्छता, जलभराव, पुलिस और अन्य विभागों से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी शिकायतों का समयसीमा में निष्पक्ष एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।



पोरसा में दूध डेयरियों पर छापे, छह नमूने संग्रहित

फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने की कार्रवाई

नवभारत न्यूज
मुरैना/पोरसा, 28 जुलाई। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने विशेष अभियान के तहत मंगलवार को पोरसा क्षेत्र की डेयरियों और चिलिंग सेंटरों पर कार्रवाई करते हुए मिश्रित दूध के 6 नमूने'' संग्रहित किए। सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल प्रताप सिंह परिहार ने सिद्धकृपा डेयरी से एक, शिवा डेयरी से दो,



श्री श्याम जी डेयरी से दो तथा ग्राम भदावली के दूध विक्रेता श्यामू सिंह राजावत से एक नमूना लिया। कार्रवाई के दौरान मैजिक बॉक्स और चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से मौके पर ही दूध की

पोरसा में कलेक्टर ने 130 आवेदकों की सुनी समस्याएं

नवभारत न्यूज
मुरैना, 28 जुलाई। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने मंगलवार को पोरसा तहसील कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में अंबाह और पोरसा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में 130 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 31 गंभीर प्रकरणों को टीएल में दर्ज कर संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के



लिए भेजा गया। कई शिकायतों का मौके पर ही निराकरण कर आवेदकों को राहत दी गई।

नुककड़ नाटकों के माध्यम से दिया नशा मुक्ति का संदेश

नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत आयोजन

नवभारत न्यूज
मुरैना, 28 जुलाई। मुरैना पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में नुकड़ नाटकों का आयोजन कर आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम एडिशनल एसपी सुरेंद्रपाल सिंह डाबर के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। नुकड़ नाटकों के माध्यम से नशे से व्यक्ति, परिवार और



समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का प्रभावी मंचन किया गया। पुलिस अधिकारियों ने युवाओं और नागरिकों से नशे से दूर रहने, परिवार व समाज को नशामुक्त बनाने तथा नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। कार्यक्रम में

नशामुक्त समाज का निर्माण करने लिया सामूहिक संकल्प

मुरैना, 28 जुलाई। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत मुरैना में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसपी धर्मराज मीना के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्रपाल सिंह डाबर के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं और नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य परिवार और समाज को खोखला कर देता है। युवाओं से सकारात्मक सोच अपनाने, नशे से दूर रहने और समाज में नशामुक्ति का संदेश फैलाने का आह्वान किया गया। इसके साथ ही नशे के आदी लोगों को उपचार, परामर्श और पुनर्वास की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम का संचालन रवि गुप्ता ने किया। अंत में एडिशनल एसपी सुरेंद्रपाल सिंह डाबर ने सभी उपस्थितजनों को नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत शपथ दिलाई। सभी ने नशामुक्त, स्वस्थ और सुरक्षित समाज के निर्माण को सक्षम भागीदारी निभाकर का सामूहिक संकल्प लिया।

In The Court Of II Civil Judge, Senior Division, Ambah District Court, Morena
Presiding Officer :- श्रीमती प्रिया गुप्ता
आवेदन पत्र अर्पित द्वारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अभिनियम संश्लेषण प्रकरण क्रमांक (MJC SUC/0000006/2026)
रामवीर सिंह Vs **अनवेदक**
सर्वसाधारण Vs **अनवेदक**
Process id:-2026
पैरी दिनांक:- 12/08/2026

प्रेस्ति- (1) सर्वसाधारण पता-सर्वसाधारण (2) आमजनता आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामवीर सिंह पता ने मुक्त जेम्सदार सिंह भदौरिया पुत्र संयम सिंह भदौरिया निवासी जिला जौहरी हसील पोरसा जिला मुरैना की सेंट्रल क्रॉफ डिवीया शाखा पोरसा बसत खाता क्रमांक- 2251739449 में जमा राशि 88754 राशि/राशि हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिलेख/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 12 August 202६ को निवत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मुक्त का उत्तराधिकारी अथवा अभिलेख/संरक्षक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पैरी दिनांक 12 August 2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिका के माध्यम से उपस्थित हो। सूचना उपरांत, यदि अनुपस्थित रहें तो प्रकरण को सुनवाई एक पक्षीय की जांच प्रकरण का निराकरण किया जायेगा। यह आज तारीख 24 July 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा का किया गया है।
न्यायालय की मुद्रा

न्यायाधीश (गिरा गुप्ता)
द्वितीय वक्ताहर न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अंबाह, जिला मुरैना (म.प्र.)

नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज
मुरैना, 28 जुलाई। पोरसा क्षेत्र के बुधारा गांव में एक नाबालिग के साथ आधी रात को घर में घुसकर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार 23-24 जुलाई की दरम्यानी रात को अपने घर के अंदर कमरे में अकेली सो रही थी। उसके माता-पिता, बहन-भाई और दादी कमरे के बाहर टीनशेड में सोए हुए थे। पीड़िता के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। देर रात करीब 2 बजे गांव में रहने वाला रोहित उर्फ कउआ तोमर निवासी बुधारा घर के अंदर पीड़िता के कमरे में घुस आया और उसने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म कर डाला। 27 जुलाई को पीड़िता अपने माता-पिता के साथ पोरसा थाने पहुंचीं और आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक दिनेश सिंह कुशवाह और उनकी टीम शामिल थी।

जन-जन तक पहुंचाएंगे सामाजिक समरसता का संदेश

संत रविदास की जयंती पर भाजपा की जिला बैठक में लिया संकल्प

नवभारत न्यूज
मुरैना, 28 जुलाई। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज को 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा जिला कार्यालय में सामाजिक समरसता संकल्प अभियान के तहत जिलास्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले के सभी मंडलों और बुथों पर जयंती समारोह आयोजित कर सामाजिक समरसता के संदेश घर-घर पहुंचाने का संकल्प लिया गया।

भाजपा जिलाध्यक्ष कमलेश कुशवाह ने कहा कि गुरु रविदास महाराज ने समानता, मानवता और भाईचारे का संदेश देकर



समाज को एकता का मार्ग दिखाया। उनके आदर्श आज भी सामाजिक संस्वाद की सबसे बड़ी प्रेरणा हैं।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचकर सेवा, समरसता और राष्ट्रहित की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। जिला मीडिया प्रभारी

इंजी. दिलीप डंडोतिया ने बताया कि बैठक में जिला महामंत्री महेंद्र सिंह यादव, सोनू परमार, सुनील जाटव, विनोद कुमार सहित जिला व मंडल पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

मुरैना/जौरा, 28 जुलाई। जौरा क्षेत्र के प्रसिद्ध ओमरी मनकामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 1 अगस्त को वार्षिक पाठ उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। मंदिर समिति के अनुसार प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी धार्मिक अनुष्ठानों की श्रृंखला आयोजित होगी। उत्सव का शुभारंभ सुबह 7.30 बजे प्राचीनकालीन प्रतिष्ठित अनंत महादेवजी के विशेष अभिषेक से होगा। इसके साथ ही श्रीराम दरबार, राधा-कृष्ण दरबार, मां दुर्गा तथा हनुमानजी महाराज का अभिषेक एवं हवन रामानुज कोट के पुत्रराज स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद दोपहर 1 बजे महाआरती होगी, जबकि दोपहर 1.30 से शाम 4 बजे तक महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। मंदिर समिति ने सभी श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्मपाल लेने का आग्रह किया है।

आम सूचना

श्रीमती चरन देवी पत्नी श्री शिव सिंह के स्वतः व स्वामित्व की अवल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित ग्राम डेमपुरा, तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र.) में स्थित है जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र. 44 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.56/2 ग्राम डेमपुरा का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 600 वर्गफुट है और जिसकी चर्चुलीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में भूखण्ड जालोरी वालों का, पश्चिम में भवन श्री नरेश, उत्तर में रास्ता 20 फुट चौड़ा एवं दक्षिण में-भूमि विक्रेता है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न आम सम्पत्ति पूर्व में श्री रामरत्नरूप, श्री अर्जुन सिंह, श्री शिव चरण, श्री सिंह, श्री निहाल सिंह पुत्रगण श्री देवला एवं अन्य के संयुक्त स्वतः स्वामित्व की थी। श्री अर्जुन सिंह द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती चरन देवी पत्नी श्री शिव सिंह को ई-रजिस्टर्ड शिफ्ट विलेज क्र. एम्पी 27 आईजीआर 17912026र/100582236 दिनांक 18.05.2026 से विक्रय की गई थी। श्रीमती चरन देवी द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार बजाज हाउसिंग फायनेस लिमिटेड ग्वालियर के सम्मक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किया जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निगम को उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहतायाओं को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार बजाज हाउसिंग फायनेस लिमिटेड ग्वालियर के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वतः स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हिं-निहि होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा बजाज हाउसिंग फायनेस लिमिटेड सिटी सेंटर ग्वालियर में लिखित आपत्ति म्याद दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अधिष के समाप्त होने के पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर मेरे पक्षकार के विरुद्ध प्रयुक्त होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेस्ति- (1) श्रीमती पुनम यादव पत्नी रव, मनीष यादव वर्तमान पति सुनील उर्फ लल्लू, पता-जनकपुरी पंचमुखी इन्डुमानजी के सामने गोल पहाड़िया लक्कर ग्वालियर म.प्र. एवं ग्राम झुआरी तहसील भितरवार जिला ग्वालियर म.प्र. यह कि प्राची पुनम यादव पुत्र श्री छोटेलाल यादव ने आपा केकड़ आवेदन पत्र अर्पित द्वारा-06 संरक्षक और प्रतियाप्य अधिनियम के लिए वाद संक्षिप्त किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंज्ञा/हाजिर होने के लिये सम्मान किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे पक्षीर (अधिकृत) द्वारा उपसंज्ञात हो सकते है, जिसे सरकार अनुमति देते योगे हों और जो इस वाद में संबंधित सभी साख्तान कबजनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिश्ठा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें, जिन पर आपका प्रतिश्ठा या मुजर्राद का दावा वा प्रतियाप्य आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिश्ठा या मुजरत के दावे वा प्रतियाप्य के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सूची में प्राविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बर्नाई गई अधिष में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक प्रतियाप्य सूचीवा कर उसका निपटारा आपकी अनुमतिरिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक है तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावे। यह आज तारीख 25 July 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।
न्यायालय की मुद्रा

न्यायाधीश (हितेन्द्र दिवेदी)
प्रधान न्यायाधीश कृपय न्यायालय मुरैना (म.प्र.)

Presiding Officer - हितेन्द्र दिवेदी

आदेश 5 दिवस 20 व्यावहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु।(MJC/0000022/2025)

पुनम यादव Vs **श्रीमती पुनम यादव**
Process id:-2026
पैरी दिनांक:- 17/09/2026

प्रेस्ति- (1) श्रीमती पुनम यादव पत्नी रव, मनीष यादव वर्तमान पति सुनील उर्फ लल्लू, पता-जनकपुरी पंचमुखी इन्डुमानजी के सामने गोल पहाड़िया लक्कर ग्वालियर म.प्र. एवं ग्राम झुआरी तहसील भितरवार जिला ग्वालियर म.प्र. यह कि प्राची पुनम यादव पुत्र श्री छोटेलाल यादव ने आपा केकड़ आवेदन पत्र अर्पित द्वारा-06 संरक्षक और प्रतियाप्य अधिनियम के लिए वाद संक्षिप्त किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंज्ञा/हाजिर होने के लिये सम्मान किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे पक्षीर (अधिकृत) द्वारा उपसंज्ञात हो सकते है, जिसे सरकार अनुमति देते योगे हों और जो इस वाद में संबंधित सभी साख्तान कबजनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिश्ठा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें, जिन पर आपका प्रतिश्ठा या मुजर्राद का दावा वा प्रतियाप्य आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिश्ठा या मुजरत के दावे वा प्रतियाप्य के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सूची में प्राविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बर्नाई गई अधिष में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक प्रतियाप्य सूचीवा कर उसका निपटारा आपकी अनुमतिरिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक है तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावे। यह आज तारीख 25 July 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।
न्यायालय की मुद्रा

प्रभुच -नीरज जैन, एबवोकेट
कार्या, 56/2, कैलाश विहार, फेडरल बैंक के पास सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.) मो.नं.98276-72710